तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/11/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैर सायलान की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी के अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्यों की ताईद करते हुए प्रकट किया कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 09.06.2015 को मैसर्स सम्पत पान भण्डार, पुराना बस स्टैण्ड, बालोतरा जिला बाड़मेर पहुंच कर दुकान पर मौजूद गैर सायल की उपस्थिति मे विक्रय हेतु रखा खाद्य पदार्थ प्रोपराईटी फूड ब्राण्ड जूपी नूडल्स मे मिलावटी होने के संदेह पर नियमानुसार नमूना हेतु क्रय किया गया। उक्त नमूना पी–543 मार्क अंकित कर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर मे जांच हेतु भिजवाया गया, जो जांच रिपोर्ट दिनांक 29.06.2015 मे अवमानक स्तर होना पाया गया। इस पर गैर सायलान को रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई, किन्तु गैर सायलान द्वारा उक्त रिपोर्ट पर पुनः जांच करने हेतु कोई अपील प्रस्तुत न करने पर परिवादी द्वारा बाद जांच यह परिवाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत प्रस्तत किया गया हैं। गैर सायलान के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने से भारी जुर्माना से दण्डित किया जावें। गैर सायलान की ओर से जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत कर प्रस्तुत परिवाद चलने योग्य नही होने से खारिज करने का निवेदन किया गया। हमने अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि गैर सायल सं. 5 की विनिर्माता कम्पनी के द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ का नमूना गैर सायल सं. 1 की दुकान से जांच हेतु परिवादी द्वारा मिलावटी होने के संदेह पर लिया गया। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना जांच हेतु खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 29.06.2015 मे यह स्पष्ट अंकित किया हैं कि खाद्य पदार्थ को अवमानक स्तर होना पाया गया हैं तथा विवरण अंकित किया हैं कि नमूना पैकेट पर "Name of Food, Net quantity by weight and symbol for Veg. or non Veg. food not mentioned on the pre packed pouches of tast blender, contravention of Regulation No. 2.2.1(1), 2.2.2(1), 2.2.2(4) and 2.2.2(7) of Food Safty and standards (Packing and labelling) Regulation, 2011 . इस आधार पर उक्त नमूना को अधिनियम की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) के तहत अवमानक माना है जो इस प्रकार है– If the article contained in the package- (i) contains any artificial flavouring, colouring or chemical preservative and the package is without a declaratory label stating that fact or is not labelled in accordance with the requirments of this Act or regulations made thereunder or is in contravention thereof ; or गैर सायल के प्रतिष्ठान से लिये गये उक्त नमूना को अधिनियम के उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अवमानक माना गया हैं । इस संबंध मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 के अनुच्छेद 2.2.2(i) का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार है– (i) The Name of Food: The name of the food shall include trade name or description of food contained in the package. इसके जवाब में गैर सायल की ओर से जवाब में अंकित किया हैं कि इसी अनुच्छेद में आगे प्राविधित किया गया हैं कि– Provided that where the ingridents has been used as flavouring agent, the disclosure of such ingridents is not required.	

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसके अलावा उक्त पाउच पर वेज अथवा नोन–वेज का चिन्ह अंकित नहीं होना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया हैं जिस पर गैर सायल का कथन हैं कि अनुच्छेद 2.6.1 में जो छूट प्रदान की गई हैं– where the surface area of the pack is not more than 100 sq cm., the label of such pack should be exmpted from all the labelling requirements including vege logo etc. इस प्रकार खाद्य विश्लेषक द्वारा अपने अभिमत मे दिया गया कथन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उक्त विनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकरण के परिप्रेक्ष्य मे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघनकारी नहीं माना जा सकता हैं। इसके अलावा नमूना जांच रिपोर्ट में अवमानक होने बाबत कोई विवरण/आक्षेप अंकित किया नहीं किया हैं और न ही परिवाद मे उल्लिखित किया गया हैं। ऐसे मे प्रस्तुत परिवाद खारिज योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद सारहीन एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। न्याय निर्णयन अधिकारी एव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर	